



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052020-219254
CG-DL-E-01052020-219254

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1220]
No. 1220]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2020

का. आ. 1365(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1726 (अ), दिनांकित 26 जून, 2015 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 505 के संबंध में क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

505	खाब – संगम – चांगो – सुमडो खंड (हिमाचल प्रदेश राज्य में)	किमी 56
-----	---	---------

[फा.सं. एनएच-14013/14/2019-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1726(अ), दिनांक 26 जून, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2020

S.O. 1365(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 1726 (E), dated the 26th June, 2015, namely:-

In the Table to the said notification, the entries under columns number (1), (2) and (3) in respect of National Highway No. 505, the following entries shall be substituted, respectively:-

“505	Khab- Sangam- Chango- Sumdo section (In the State of Himachal Pradesh)	56 km
------	---	-------

[F. No. NH-14013/14/2019-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O 1726 (E), dated the 26th June, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2020

का. आ. 1366(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 9 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20 [किमी 11.00 से किमी 208.00 तक को छोड़कर], सं. 20ए, सं. 21 [किमी 17.00 से किमी 35.00 तक को छोड़कर], सं. 22 [किमी 337.140 से किमी 368.000 सहित (वांगटू – पोवारी जंक्शन खंड) लेकिन सीमा सड़क विकास बोर्ड को सौंपे गए खंडों को छोड़कर तथा किमी 62.200 से किमी 156.507 तक (हरियाणा/हिमाचल सीमा-सोलन-कैथलीघाट खंड) को छोड़कर], सं. 70, सं. 72, सं. 72बी, सं. 73ए, नई रारा सं. 154ए, नई रारा सं. 305, नई रारा सं. 503, (मतौर – धर्मशाला – मैकलॉयडगंज खंड) और नई रारा सं. 503ए, नई रारा सं. 505 [खाब – संगम – चांगो – सुमडो खंड (56 किमी) तक को छोड़कर], नई रारा सं. 505ए, नई रारा सं. 705 और नई रारा सं. 907ए के उतने भाग जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है।	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार”

[फा.सं. एनएच-14013/14/2019-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1056(अ), दिनांकित 12 मार्च, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2020

S.O. 1366(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“9	So much of National Highways No. 20[excluding km 11.00 to km 208.00] No. 20A, No. 21A [excluding from km 17.00 to km 35.00], No.22 [including from km. 337.140 to km. 368.340 (Wangtu-Powari junction section) but excluding the stretches entrusted to Border Road Development Board and from km. 62.200 to Km. 156.507 (Haryana/Himachal Border-Solan- Kaithlighat –Shimla Bypass section)] No.70, No.72, No. 72B, No.73A, new NH No. 154A, new NH No. 305, new No. 503 (Mataur-Dharamshala- Macleodganj section) and new NH No. 503 Extn, New NH No. 503A, New NH No. 505 [excluding from Khab - Sangam- Chango- Sumdo section (56 km)] New NH No. 505A , new NH No.705, and new NH No. 907A as are situated within the State of Himachal Pradesh.	State Government of Himachal Pradesh.”

[F. No. NH-14013/14/2019-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1056 (E), dated the 12th March, 2020.